रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03122025-268187
CG-MH-E-03122025-268187

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5353] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2025/अग्रहायण 11, 1947
No. 5353] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2025/AGRAHAYANA 11, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 25 नवम्बर, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20A के तहत

का.आ. 5541(अ).—केन्द्रीय सरकारने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है।) की धारा 20 'ए' के खंड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिये, वह भूमि, जिसका संशिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची मे दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के **ठाणे जिले** में "**निलजे और कोपर के बीच दोहरी कॉर्ड लाइन रेलवे परियोजना**" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिये अपेक्षित है, ऐसी भूमी का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है |

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ती, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम कि धारा २०घ की उप-धारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा |

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात उपविभागीय अधिकारी ठाणे, जिला ठाणे, महाराष्ट्र को लिखित में किया जायगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधी व्यावसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपो की सुनवाई करने तथा ऐसी जाचं करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपो को अनुज्ञात कर साकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा |

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा |

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमी के अन्य ब्योरो उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ती द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है |

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में तालुका ठाणे के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी अर्थात उपविभागीय अधिकारी ठाणे, जिला ठाणे के अधीन विशेष रेल परियोजना "**निलजे और कोपर के बीच दोहरी कॉर्ड लाइन रेलवे परियोजना"** के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण |

गांव का नाम:- बेतवडे तहसील एवं जिला ठाणे

अ.क्र.	तालुका	गांव का नाम	सर्वेक्षण क्रमांक	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	अर्जित की जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर)
1.	ठाणे	बेतवडे	77	१) होरायझन प्रोजेक्ट प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर एस एस रुणवाल २) भारतीय रेल्वे	0.3368
2.			39	१) होरायझन प्रोजेक्ट प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर एस एस रुणवाल २) भारतीय रेल्वे ३) भारतीय रेल्वे प्रकल्पाकरीता संपादित	0.0636
3.			37	१) भारतीय रेल्वे २) जसा लुबाजी कं.चे. भागीदार रुपचंद हजारीमल ३) भारतीय रेल्वे प्रकल्पाकरीता संपादित	0.0186
4.			35	१) होरायझन प्रोजेक्ट प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर एस एस रुणवाल २) भारतीय रेल्वे	0.0142
				कुल क्षेत्र	**0.4332 हेक्टर**

[फा. सं. G197 /NILJE-KOPAR/ Betawade Vlg/20A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th November 2025

Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 5541(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed here to, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **"Double chord line between Nilje & Kopar Railway project"** in the district of Thane in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land M/s, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Sub-Divisional Officer Thane, District Thane, Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and M/s, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project "**Double chord line between Nilje & Kopar Railway project**" Village in Thane Taluka under Competent Authority for Land Acquisition and Sub-Divisional Officer Thane, District Thane in the State of Maharashtra.

NAME OF VILLAGE:- Betawade, Tehsil & Dist- Thane

Sr. No.	Taluka	Name of Village	Survey No.	Land Holder's Name as per 7/12	Area of land to be acquired in Ha
1.	Thane	Betawade	77	1) Director S. S. Runwal on behalf of Horizon Project Pvt. Ltd. 2) Indian Railway	**0.3368**
2.			39	1) Director S. S. Runwal on behalf of Horizon Project Pvt. Ltd. 2) Indian Railway 3) Acquisition for Indian Railway	**0.0636**
3.			37	1) Indian Railway 2) Rupchand Hajarimal, Partner of Jasa Lumbaji & Co. 3) Acquisition for Indian Railway	**0.0186**
4.			35	1) Director S. S. Runwal on behalf of Horizon Project Pvt. Ltd. 2) Indian Railway	**0.0142**
				Total Area	**0.4332 Ha**

[F. No. G197 /NILJE-KOPAR/ Betawade Vlg/20A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.12.03 16:04:38 +05'30'